

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल — 8400288112 Licence No. CM/L - 8400288112

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

मैसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज एच1—2222, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा, जयपुर, जिला— जयपुर (राजस्थान) — 302022.

M/s SHRI GANESH INDUSTRIES H1-2222 RIICO Industrial Area Sitapura, Jaipur, Distt. – JAIPUR (Rajasthan) – 302022.

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज़प्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का इस अनुसूची के तीसरे कालम में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज़प्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिन्ह का उपयोग उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में समय—समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो। (hereinafter called 'the Licensee) this Licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2.इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा—उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम—। में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता हैं।

This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the first schedule and may be renewed as prescribed in the scheme.